भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 4505**
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
29 श्रावण, 1947 (शक)

## विशाखापत्तनम में डेटा सिटी का विकास

**4505. डॉ. सी. एम. रमेशः**

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) विशाखापत्तनम में एक डेटा सिटी विकसित करने की योजना बना रही है जिसमें गूगल एक प्रमुख निवेशक होगा;
(ख) यदि हाँ, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है;
(ग) यदि हाँ, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कॉपीराइट अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है जिसमें टेक्स्ट और डेटा माइनिंग के लिए विशिष्ट प्रावधानों का अभाव है और जिसके कारण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटाबेस पर एआई मॉडल को प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है;
(घ) यदि हाँ, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने एआई विकास के लिए टेक्स्ट और डेटा माइनिंग छूट प्रदान करने हेतु कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 में संशोधन का सुझाव दिया था; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) और (ङ):** आंध्र प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि वह विशाखापट्टनम में डेटा सिटी की स्थापना करना चाहती है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), उन्नत एआई अनुसंधान केंद्रों, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को सशक्त बनाना है।

भारत सरकार इस पहल का सक्रिय रूप से समर्थन कर रही है। इस विषय पर कई बैठकें हो चुकी हैं। भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच डेटा सिटी परियोजना को समर्थन देने के कानूनी प्रावधानों पर चर्चा चल रही है।

*****